

बिहार सरकार  
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग  
(भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय)

संख्या - 03/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(आरोप)-नालंदा-33/2022..... पटना, दिनांक:-

22/02/2023

आदेश

बंदोबस्त पदाधिकारी, नालंदा के पत्रांक 399-। दिनांक 07.11.2022 द्वारा श्री शक्ति कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN02322) के विरुद्ध आपत्तियों के निष्पादन से संबंधित जांच प्रतिवेदन ससमय समर्पित नहीं करने, कार्य की प्रगति धीमी रहने संबंधी कतिपय आरोप प्रतिवेदित करते हुए आरोप पत्र गठित कर अनुशासनात्मक कार्रवाई हेतु भेजा गया था।

प्राप्त आरोप पत्र के आलोक में भू-अभिलेख एवं परिमाण निदेशालय के पत्रांक 4299 दिनांक 02.12.2022 द्वारा आरोपित से 03 दिनों के अन्दर स्पष्टीकरण की मांग की गयी है। आरोपित द्वारा अपना स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किया गया है। आरोपित द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित नहीं किए जाने की स्थिति में निदेशालय मुख्यालय स्तर पर नालंदा जिला के लिए नामित नोडल पदाधिकारी का मंतव्य प्राप्त किया गया है।

आरोपित के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप एवं नोडल पदाधिकारी के मंतव्य का अवलोकन किया गया। अवलोकनोपरांत यह पाया गया कि आरोपित पर धीमी गति से सर्वेक्षण कार्य करने एवं जांच प्रतिवेदन समर्पित नहीं करने का आरोप है। साथ ही आरोपित द्वारा स्पष्टीकरण का जबाब नहीं दिया गया है, जो इन पर लगाए गए आरोप को प्रमाणित करता है।

अतः प्राप्त प्रतिवेदन एवं वरीय पदाधिकारियों के आदेश की अवहेलना करने के आलोक में 02 माह के मानदेय कटौती का दण्ड अधिरोपित किया जाता है। साथ ही यह चेतावनी दी जाती है कि भविष्य में सुधार नहीं लाने अथवा गलती की पुनरावृत्ति करने पर सेवा समाप्त कर दिया जाएगा।

(जय सिंह)

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण  
पटना, दिनांक: 22/02/2023

ज्ञापांक :- 03/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(आरोप)-नालंदा-33/2022.....

प्रतिलिपि :- श्री शक्ति कुमार, विशेष सर्वेक्षण अमीन (AEN02322), बंदोबस्त कार्यालय, नालंदा को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण  
पटना, दिनांक: 22/02/2023

ज्ञापांक :- 03/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(आरोप)-नालंदा-33/2022.....

प्रतिलिपि :- बंदोबस्त पदाधिकारी, बंदोबस्त कार्यालय, नालंदा को सूचनार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण  
पटना, दिनांक: 22/02/2023

ज्ञापांक :- 03/भू0अ0नि0(2)राज्य यो0(आरोप)-नालंदा-33/2022.....

प्रतिलिपि :- श्रीमती सरीता कुमारी, प्रोग्रामर को सूचनार्थ एवं विभागीय वेबसाईट पर प्रकाशित करने एवं निदेशालय आदेश संख्या 1250 दिनांक 30.01.2023 के अनुपालनार्थ प्रेषित।

निदेशक

भू-अभिलेख एवं परिमाण  
पटना, दिनांक: 22/02/2023